

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

संख्या:83(जी)सीएचक्यू/12-592सीएचई/84.

दिनांक: 26, जुलाई, 2012

कार्यालय आदेश

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1601/44-1-2011-90/2008, दिनांक 20-12-2011 एवम् निगम के पत्र संख्या-37(जी)सीएचक्यू/12-592सीएचई/84, दिनांक 29-04-2012 के संदर्भ में प्रमुख सचिव, परिवहन, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या-657/30-2-2012-2(50)/2001, दिनांक-24-07-2012 के निर्देशानुक्रम में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की धरिधि में आने वाले उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित एवम् पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अपने श्रोतों से वहन करेगा। इस हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

यह व्यवस्था उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

ह

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक), निगम मुख्यालय।
2. प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक/प्राविधिक-स्था०), निगम मुख्यालय।
3. अधिष्ठात्री अभियंता(पूर्व/पश्चिम), निगम मुख्यालय।
4. प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला/डा०रा०ग०लो०कार्यशाला, उ० प्र० परिवहन निगम, कानपुर।
5. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० परिवहन निगम, कानपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम।
7. प्रबन्धक, कार. सेक्शन, उ० प्र० परिवहन निगम, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/मु०प्र०प्र०(प्रशासन) कैम्प, निगम मुख्यालय।
9. अनुभाग अधिकारी, क्षेत्रीय(अप्रा०/प्रा०) अनुभाग/रोडवेज लेखा/भवन/सामान्य प्रशासन अनुभाग, निगम मुख्यालय।
10. गार्ड, पत्रावली।

24

(समदीन)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन)